



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-793/DL/37/2023-SSW


दिनांक: 10.03.2023

Shri Ashok Kumar
Secretary
Department of Education
GNCTD, 9th Level
B Wing, Delhi Sectt
नई दिल्ली - 110002 (दिल्ली)
ई मेल: secyedu@nic.in

विषय: अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को पोस्ट कोड 54/21 (TGT Sanskrit) के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु न बुलाए जाने के संबंध में - श्री आदित्य कुमार मीना, खानपुर, नई दिल्ली एवं अन्य का दिनांक 13.09.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री आदित्य कुमार मीना से दिनांक 13.09.2022 में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है. अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खण्ड (8) के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।


(आर. एस. मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
(Ph No. 24641640)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

श्री आदित्य कुमार मीना,
मकान नं. 294,
RPS कालोनी, खानपुर
नई दिल्ली
(मो नं. 8741021580)

✓ NIC, NCST (please upload on the website of the Commission)